

अज कर्मोय १९६५ कलम्
अर्जकाराचे नांव श्री. प्रो. पी. के. लाल
नक्कल लेख्या अर्ज आला तो दिनांक १०/६/६६
नक्कल तयार वि. २१/६/६६
नक्कल दिली तो दि. २१/६/६६

G.P. No. (J) Ya 18-17,500 (175 bks.)-261



CERTIFICATE OF REGISTRATION

P.T. No. 13/66



No 10247

F-238 Jalna

P. T. R. Office Aurangabad Region
Aurangabad.

आचार्य
२१/६/६६
जायभक्त
सार्वजनिक न्दस नोंदणी कार्यालय
जालना विभाग, जालना

Name of P. T. श्री. जुरे. जगेश
Sthanakwasi Jain Samarak
Samiti at Patilw. Dist. Parbhani

Reg. No. F-45 (Parbhani)

To whom issued श्री. भुक्खराज
Chamandi ram R/o Sadar
Bajar Jalna, Dist. Jalna

Date 23-4-1966. Dist. Aurangabad

Copy Prepared by
Copy Read by
Copy Verified by

Assit. District Registrar
Aurangabad



श्री गुरुगोष्ठा स्थानकवासी जैन स्मारक समिति, परतूर

प्रज्ञ क्रमांक 39614
अर्जदाराके नांव क. डे. का. मेमोरिएण्डम ऑफ असोसिएशन
नक्कलेच्या अर्ज आला तो दिनांक 10/6/24
नक्कल तयार दि. 2/6/24
नक्कल दिली तो दि. 2/6/24

(१) संस्थाका नाम :- श्री गुरुगोष्ठा स्थानकवासी जैन स्मारक समिति।

(२) संस्थाका पूरा पता :- श्री गुरुगोष्ठा स्थानकवासी जैन स्मारक समिति,

परतूर जिल्हा - परभणी (महाराष्ट्र)

(३) संस्थाने उद्देश्य :-

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय
जालना विभाग जालना

- क) आईटी संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण, संवर्द्धन, प्रचार-प्रसार करना।
- ख) जैनगमों की मूलभाषा प्राकृत, अर्द्ध मागधी एवं संस्कृत तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी का सर्वांगीण विकास करना।
- ग) पूज्य माधु साहवीवृन्द के अध्येयनार्थ उचित स्थल पर सिद्धार्थ स्थापित करना।
- घ) पुस्तकालय, बच्चन्यालय, पाठशाला, छात्रालय, अनाथालय, समाजोपयोगी संस्थाएँ स्थापित करना।
- ङ) महिलाओं के जीवन विकास हेतु श्राविकाश्रम का निर्माण करना।
- च) समाज के उत्थानके लिए सत्प्रवृत्तियों एवं प्रामोद्योगिकी को प्रोत्साहित करना।
- छ) जैन धर्मके होनहार धर्मोन्माद विरहित आकृतियों प्रदानकर संस्कृत एवं प्राकृत के प्रौढ विद्यालय तैयार करना।
- ज) स्थान-स्थान पर धार्मिक शिवालयों की व्यवस्था करना।
- झ) आध्यात्मिक विकास हेतु स्वाध्याय मण्डल चालू करना।
- ञ) अहिंसा के प्रचार-प्रसार का समुचित प्रबंध करना।
- ट) जैनगम-जैन-दर्शन के अलम्य ग्रंथोंका संपादन, प्रकाशन करना।
- ठ) धार्मिक, आध्यात्मिक पत्रिका का प्रकाशन करना।
- ड) संस्थाके सद्गुणोद्देश्य तपस्वी मुनि श्री मिश्री लालजी सदाशिव जी योग्य प्रतीत हो ऐसे समाजोपयोगी प्रवृत्तियोंका समर्थन

8

“ संस्थाकी -अवल सम्पत्ति सम्पत्ति की व्यवस्था संस्थाके नियम
निर्देशानुसार करना, निम्नलिखित सदस्यों की जिम्मेवारी होगी। ”



नाम	व्यवसाय	पता
श्री चेत गुलाबचंद वदनमल सुराणा 3762121	व्यापार	२५ हिसामगंज, बुलाराम (हैदराबाद)।
(२) श्री उदेराज हरकचंदजी 3414247	व्यापार खेती	मु.पोस्ट - बीबी ओतसी ल महकर (जिला-बुलहाना)।
(३) श्री भिकुलाल उमैदमल वाळिया 274222	व्यापार	परभनी (मराठवाडा)।
(४) श्री पन्नालाल धनराज जैन	व्यापार	जालना (जिल्हा औरंगा- बाद)
(५) श्री कल्याणमल अमोलकचंद जैन 413116441	व्यापार	परतूर, जिला-परभणी।
(६) श्री बंसी लाल फूलचंद जैन 3414247	व्यापार	परतूर, जिला-परभणी।
(७) श्री पुखराज भागचंद संवेती 2414247	व्यापार	लोणार, जिला-बुलहाना।
(८) श्री सुगनचंद धनराज जैन	व्यापार खेती	मु.पो.नेर, जिला - यवतमाल।
श्री पुखराज घमंडी राम जैन 3414247	व्यापार	जालना, जिला-औरंगाबाद
श्री घेवरचंदजी सावला	व्यापार	रक्वियार पेठ, नासिक (जिला नासिक)।
श्री फकीरचंद शंकरलाल	व्यापार	जामनेर, जिला - जलगांव
श्री विरदीचंद लालचंद गेलडा	व्यापार	बोदवड, जिला - जलगांव
श्री पीरचंद ह्याजेड	व्यापार खेती	चांदूर रेल्वे, जिला - अमरावती।
श्री मानचंद लादूराम	व्यापार	कामारहुडी (हैदराबाद)।
(१५) श्री जम्बूकराम रेखचंदजी संवेती	व्यापार	बुलहाना।

(१०)

(६)

“ हम निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता श्री गुरुगणेश स्थानकवासी जैन स्मारक समिति को मैमोरण्डम ऑफ असोसिएशन के अनुसार रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं ।”



क्रम	नाम	पद	हस्ताक्षर
(१)	श्री गुलाबचंद कवचमल सुराणा	अध्यक्ष	गुलाबचंद सुराणा
(२)	श्री उदेराज हरचंद रेदासणी	सुपाध्यक्ष	उदेराज हरचंद रेदासणी
(३)	श्री सुखराज धंड़ीराम	संकेतरी	सुखराज धंड़ीराम
(४)	श्री बन्सीलाल कूलचंद जैन	असिस्टेंट संकेतरी	बन्सीलाल कूलचंद जैन
(५)	श्री सरयाणामक ओमलचंद जैन	कौशल्यध्यक्ष	सरयाणामक ओमलचंद जैन
(६)	श्री निरुलाचरि उदेराजजी बार्ढिया	सदस्य	निरुलाचरि उदेराजजी बार्ढिया
(७)	श्री सुखराज भागचंदजी संवेती	सदस्य	सुखराज भागचंदजी संवेती



दिनांक 21/6/2021

स्थान --

सर्वजनिक न्याय नैयमी कार्यालय

सहायी -- (१) श्री

अधीक्षक

सर्वजनिक न्याय नैयमी कार्यालय
जालना विभाग, जालना

स्थान परतूर (जिला--परमनी)

हस्ताक्षर
दिनांक - 29/9/EE

स्थान परतूर (जिला - परमनी)

हस्ताक्षर
दिनांक - 21-1-66

Copy Prepared by

Copy Read by

Copy Verified by

True Copy 21.6.21

92



श्री गुरु गणेश स्थानकवासी जैन स्मारक समिति, परतूर
के
नियमों पर नियम

श्री गुरु गणेश स्थानकवासी स्मारक समिति, परतूर (जिला परभनी)



क्रमांक 398/21
द्वारा प्रेषित
कलेच्या अर्ज आला तो दिनांक
कल सयार दि.
कल दिली तो दि.

श्री गुरु गणेश स्थानकवासी जैन समाजके पुंजर तपस्वी उगु विहारी श्री
१००६ श्री गणेशलाठ जी महाराज के सच्छिष्य तपोनिष्ठ
पं. मुनि श्री मिश्रीलाठ जी महाराज के सहुपदेश से दिनांक
फरवरी, १९६५ के रोज संस्थापित.)

(७)

संस्था के नियमोपनिषम

आचार्य
21/6/21
प्रचारक
सामाजिक न्याय नॉटमी कार्यालय
खानना विभाग, जालना :-

इस संस्था का नाम, श्री गुरु गणेश स्थानकवासी जैन स्मारक समिति रहेगा.

२ कार्यालय :- संस्था का कार्यालय वर्तमानमें परतूर नगर जिला परभनी में रहेगा. किन्तु
महती समा के दो तिहाई सदस्यों की सम्मति से उचित स्थल पर -
परिवर्तन आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा.

३ धर्म :- इस संस्था का बर्ष प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से कार्तिक वद्य १०
तक मना जायगा.

- ४ उद्देश्य :-
- (क) आहंती संस्कृति एवं सम्यताका संरक्षण, संवर्द्धन, पुचार-पुसार का
 - (ख) जैनधर्मों की मूलमात्रा पाकृत, अर्द्ध भासधी एवं संस्कृत तथा -
राष्ट्रमात्रा हिन्दी का सर्वांगीण विकास करना.
 - (ग) पुंज्य साधु साध्वी वृन्द के अध्ययनार्थ उचित स्थल पर सिध्दांत -
शाळाएँ स्थापित करना.
 - (घ) पुस्तकालय, वाचनालय, पाठशाला, छात्रालय, अनाथालय आदि
समाजोपयोगी संस्थाएँ स्थापित करना.
 - (ङ) महिलाओं के जीवन विकास हेतु भ्रातिका-धर्म का निर्माण करना.
 - (च) समाज के उत्थान के लिए सत्प्रवृत्तियाँ एवं ग्रामोद्योगों का सर्वांगीण
करना.
 - (छ) जैन समाज के होनहार छात्रों को विशिष्ट छात्रवृत्तियाँ
संस्कृत एवं प्राकृत के प्रौढ विद्वान तयार करना.
जैनेतर धर्म प्रेमी तथा संस्कारी होनहार
निर्णय इस समिति के सूत्रधार दक्षिण
१००६ श्री मिश्रीलाठ जी महा
परम्परामें जानेवाले हंतों

पृष्ठ : २

(5)

- (ज) स्थान स्थान पर धार्मिक शिक्षण की व्यवस्था करना.
- (झ) आध्यात्मिक विकास हेतु स्वाध्याय मण्डल बालू करना.
- (ञ) अहिंसा के प्रचार-प्रसार का समुचित प्रबंध करना.
- (ट) जैनागम जैन दर्शन के अलम्य ग्रंथों का संपादन, प्रकाशन करना.
- (ठ) धार्मिक आध्यात्मिक पत्रिका का प्रकाशन करना .
- (ड) संस्थाके सदुपदेष्टा तपस्वी मुनि श्री मिश्रीलाल जी महाराज को योग्य प्रतीत हो, ऐसे समाजोपयोगी प्रवृत्तियों का संचालन करना.
- (ड) प्रकाशन कार्य के लिए प्रेस आदि की स्थापना करना और प्रोत्साहन दे कर रचनात्मक साहित्य का निर्माण करना.

५ कार्यक्षेत्र :- संस्थाके उद्देश्योंकी पूर्ति के लिए जिन स्थलों पर सत्प्रवृत्तियों का संचाल किया जायगा, वे स्थल संस्थाके कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत माने जायेंगे.

६ संस्थाके सदस्योंका निम्न लिखित श्रेणियाँ होंगी :-

(अ) मूल आधारस्तंभ सदस्य श्रेणी : इसमें एक मुश्त रु ५००/-०० (रुपये - पाँच हजार एक) / दिन वालोंका समावेश होगा.

(आ) आधारस्तंभ सदस्य श्रेणी: इसमें एक मुश्त रु १००१-०० (रुपये - एक हजार एक) या इससे अधिक देने वालोंका समावेश होगा.

(इ) संरक्षक सदस्य श्रेणी: इसमें एक मुश्त या दो किश्तों में ५५१-०० (रुपये पाँच सौ अक्षय) एकावन मात्र) देने वालों का समावेश होगा.

(ई) आजीवन सदस्य श्रेणी: इसमें एक मुश्त या दो किश्तोंमें ५ (रुपये पाँच सौ एक) या इससे देने वालों का समावेश होगा प्रतिवर्ष रु १०१-०० (रुपये पंद्रह) प्रदान कर जो सज्जन रु ५०१-०० की जो सज्जन हों

आश्रयदाता सदस्य श्रेणी: इसमें एक मुश्त २५१-०० रुपये दो सौ ५५
या इससे अधिक धन देने वालों का समावेश
होगा.

(ज) वार्षिक सदस्य श्रेणी: ₹ ११-०० (रुपये ग्यारह मात्र) प्रति वर्ष
द देने वालों का इसमें समावेश होगा.

(ए) मानद सदस्य : संस्थाको बौद्धिक अथवा अन्य प्रकार की
सहायता देने वाले महानुभाव कार्यकारिणी
की सम्मति से इस श्रेणी के सदस्य बनाये जा
सकते हैं.

७ संस्थाके कार्य अंग : संस्था का कार्य सच्यवस्थित चलाने के लिए महती सभा, कार्यकारिणी
सभा और विश्वस्त-मण्डल ये तीन अंग होंगे.

८ महती सभा : (१) नियमोपनियम कौडिका ६ के अन्तर्गत जो महानुभाव सदस्य बनें,
इन सभी का समावेश महती-सभा के सदस्य के रूप में होगा.

(२) महती सभा के निम्न लिखित कार्य होंगे :-

(अ) कार्यकारिणी-सभा, विश्वस्त-मण्डल और अन्याय पदा-
धिकारियों का निर्वाचन करना.

(आ) नियमोपनियम स्वीकृत करना.

(इ) संस्था की सम्पूर्ण सत्ता इस सभा के अधीन होगी.

(ई) महती सभा ...
करेगी, किन्तु विशेष स्थिति में मंत्री या क...

एक तृतियांश सदस्य की सम्मति से प्रश्न विशेष-बैठक
बुलाई जा सकती है, ऐसी बैठक बुलाने के लिए बैठक-सचना पत्र में
स्पष्ट करना होगा.

(उ) महती सभा की वार्षिक बैठक की सूचना, पूर्व में १५ दिन
पहले दी जायगी. (९)

(ऊ) महती सभा की बैठक के लिए कम-से-कम ग्यारह सदस्यों की
गमना-पूर्ति आवश्यक होगी,

(ए) गण-पूर्ति के अभाव में बैठक आध घंटे तक स्थगित रखी जाय
तथा आध घंटे के बाद कथित बैठक उसी स्थान पर ले ली जायगी,
तब बैठक के लिए गण-पूर्ति आवश्यक न होगी. लेकिन ऐसी बैठक में
जारी किये गये बैठक-सचनाके अलावा विचारों पर बर्बा न होगी.

(ऐ) सभी कार्य हों तब तो सर्व-सम्मति से किया जायगा अन्यथा
सदस्यों के बहुमत होगा. बराबर मत पडने पर अध्यक्ष को एक



(क) महती सभा की वार्षिक बैठक का तारीख निर्धारित स्वर्गाय पञ्च गुरु की पुण्य-तिथि माघ व १० के अवसर बुलाई जायगी, ताकि उपस्थितियों को सदुपदेष्टा, प्रखर तपस्वी दक्षिण केशरी मुनि श्री १००८ श्री मिश्री लाल जी महाराज सा. के मार्गदर्शन का अलम्ब्य लाभ प्राप्त हो कर उद्देश्य की पूर्ति हो सके. (२)

९ कार्यकारिणी सभा : अधिकार और कर्तव्य :

- (१) महती सभा द्वारा निर्वाचित ११ सदस्यों की यह सभा होगी.
- (२) इस सभा की बैठक मंत्रीजी द्वारा सूचित स्थान पर प्रतिवर्ष महती-सभा की बैठक के एक दिन पूर्व या आवश्यकतानुसार बीच-बीच में भी बुलाई जा सकती है.
- (३) कार्यकारिणी सभा की बैठक के लिए ५ सदस्यों की गण-पूर्ति होनी बाह्य. किन्तु नियत समय तक गण-पूर्ति न हो सकी तब १ घण्टे तक बैठक स्थगित रखी जायगी और उसके बाद उसी स्थान पर उपस्थित सदस्यों द्वारा बैठक की कार्रवाई पूरी होगी. किन्तु बैठक-सूचना पत्र में दिये गये विषयों के अलावा किसी अन्य विषय पर कार्रवाई नहीं की जा सकेगी.
- (४) महती सभा के आदेशानुसार संस्था की समस्त प्रवृत्तियों का संवाहन करना कार्यकारिणी सभा का उत्तरदायित्व होगा.
- (५) अकस्मात् किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो जाने पर आगामी महती सभा की बैठक तक अध्यक्ष महोदय उस स्थान के लिए किसी सदस्य की नियुक्ति कर सकते हैं.
- (६) किसी कारणवश किसी वर्ष महती सभा की वार्षिक बैठक न हो सके तब की स्थिति में वर्तमान कार्यकारिणी आगामी महती सभा की बैठक होने तक पूर्ववत् कार्य चलायेगी, और जब महती सभा की बैठक होगी उस समय आगामी कार्य चलायेगी.
- (७) कार्यकारिणी का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा. महती सभा में प्रत्यक्ष विचार पद्धति से किया जायगा.
- (८) संस्था के वैतनिक कार्यकर्ताओं की नियुक्तियाँ करना, इसका वेतनवृद्धि करना, आंडटर की नियुक्ति करना और उम्द करना, ये कार्य कार्यकारिणी के कक्ष में होंगे.
- (९) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियमोपनियम तयार करना & करना के लिए महती सभा के समक्ष प्रस्तुत करना कार्यकारिणी का मिक तथ



(११) कार्यकारिणी सभा के पदाधिकारी महुती सभा के भी पदाधिकारी होंगे।

१० विश्वस्त मण्डल : अधिकार और कर्तव्य :

(१) संस्था की स्थावर जंगम सम्पति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के लिए महुती सभा द्वारा चुने गये सात स्थानस्वासी जैन समाज के सदस्यों का एक विश्वस्त-मण्डल होगा।

(२) संस्था की पूर्ण सम्पति का प्रबंध करना अर्थात् धुवफण्ड किसी निश्चित प्रसिद्ध बैंक या पीडी पर रखना और आवश्यकतानुसार कानून की कार्रवाई कराना इसी विश्वस्त-मण्डल का कार्य होगा।

(३) संस्था की ओर से कानून की कार्रवाई करने के लिए अध्यक्ष महोदय का नियुक्त सज्जन होगा।

(४) अवानक किसी ट्रस्टी का स्थान रिक्त हो जाने पर आगामी महुती सभा की बैठक तक यह मण्डल किसी सज्जन की नियुक्ति ट्रस्ट रूप में कर सकेगा।

(५) विश्वस्त मण्डल को अपने अध्यक्ष और मन्त्री चुनने का अधिकार है।

(६) कार्यकारिणी सभा की बैठक के अवसर यह विश्वस्त मण्डल अपना कार्य विवरण पेश करेगा, ताकि उस आधार पर कार्यकारिणी सभा बजट तयार कर सके।

(७) संस्था की स्थाई रकम में से व्यय करने का अधिकार विश्वस्त या कार्यकारिणी को नहीं होगा।

(८) वास्तविक खर्च से अधिक रकम उत्पन्न हो जाने पर भी किसी दूसरी संस्था के लिए उस रकम को व्यय करने का अधिकार विश्वस्त-मण्डल या कार्यकारिणी को नहीं होगा। किन्तु कार्य-क्षेत्र को और अधिक विस्तार बनाने की योजना तयार की जायगी।

११ संस्था के पदाधिकारी : संस्था में मुख्यतया अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मन्त्री, सहमन्त्री, व्यवस्थापक और कोषाध्यक्ष रहेंगे।

१२ अध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य :

(१) संस्थाका कार्य सुचारु और शांति से चलाना, संस्था की सम्पण कार्रवाई एवं गतिविधियों पर ध्यान रखना, अध्यक्ष महोदय का प्रधान कर्तव्य होगा।

(२) अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह किसी ऐसे प्रस्तावको जो अनिकारक एवं संस्था के उद्देश्य के प्रतिकूल हो तो बैठक



(५)

का कार्य करे, तो अध्यक्ष को अधिकार होगा कि उसे ऐसा करने से रोके, या उस दिन की बैठक से उसे पृथक कर दें.

(४) संस्था सम्बंधी आवश्यक कार्रवाई करने एवं कराने का भी उन्हें अधिकार होगा. आवश्यकता पडने पर वे संस्था के कार्यों से सम्बद्ध कागज-पत्रों पर हस्ताक्षर भी करेंगे.

(५) मंत्री विभाग पर समान प्रश्न पडने पर मंत्री महादेय को एक प्रश्न मत देने का अधिकार होगा.



उपाध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य : (१) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संस्था के समस्त कार्यों की देख-रेख करना और अध्यक्ष को प्राप्त सारे अधिकारों का उपयो करना तथा कर्तव्य पूर्ति करना.

१४ मंत्री के अधिकार एवं कर्तव्य :

- (१) संस्था की ओर से पत्र-व्यवहार करना.
- (२) अध्यक्ष महादेय की सम्मति से कार्यकारिणी बैठक बुलवाने का प्रबंध करना.
- (३) मंत्री और कार्यकारिणी समा में कार्यकारिणी समा की बैठकों में पारित प्रस्ताव करना.
- (४) मंत्री समा और कार्यकारिणी समा के समस्त प्रवृत्तियों का सम्मग रूपेण संबालन करना एवं कार्य रूप देने का प्रबंध करना. कार्यकारिणी समा द्वारा संस्था का सर्वांगीण विकास करना, मंत्री का कार्य होगा.

१५ सहमन्त्री के अधिकार और कर्तव्य :

- (१) मन्त्री महादेय के कार्यों में सहायता पहुंचाना.
- (२) मन्त्री महादेय की अनुपस्थिति में मंत्री महादेय को प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करना, सहमन्त्री का कर्तव्य होगा.

१६ व्यवस्थापक के अधिकार एवं कर्तव्य :

- (१) संस्थाके संबालन में अनुभव रखनेवाले, प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्त इस पद के विरोधा रूपेण अधिकारी होंगे.
- (२) कार्यालय सम्बंधी उत्तरदायित्व का सम्मग व्यवस्थापक का प्रधान-कर्तव्य होगा.

कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य : (15)

- (१) संस्था का आय-व्यय व्यवस्थित रखना.
- (२) महती सभा और कार्यकारिणी एवं विश्वस्त मण्डल की सम्मति से कोषा की समुचित व्यवस्था करना.
- (३) कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त आडिटर महोदय से संस्था का आय-व्यय परीक्षित करवा कर प्रतिवर्ष कार्यकारिणी के समक्ष रखें जिससे कार्यकारिणी उसे महती सभा के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगी.



१८ वित्त :

- (१) बैंक का व्यवहार निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किसी दो के हस्ताक्षरों से होगा.
या
(अ) अध्यक्ष, (आ) मन्त्री (इ) कोषाध्यक्ष.

(अ)

१९ धुव फण्ड :

मूल आधार स्तंभ और आधारस्तंभ सदस्यता श्रेणीयों से प्राप्त होनेवाली सदस्यता की रकममें धुव फण्ड के अन्तर्गत भानी जायेगी.

२० सदस्यता रद्द :

किश्तों से रकम देने वाले सज्जनों की ओर से अगर लगातार दो साल तक किश्त की रकम नहीं आई, तब उनका नाम सदस्यता श्रेणी से हटा दिया जायगा और प्राप्त रकम केवल दान खातेमें प्रकाशित कर दी जायगी.

२१ नियमोपनियम संशोधन: इस संविधान के नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन करने का अधिकार महती सभा को होगा, महती सभा अपनी बैठक बुलवा कर उसे प्रदत्त अधिकारों के बीच ले करेगी.

२२

इस संविधान की मान्यता अनुसार प्रखर तपस्वी, चारित बृह उग्र विहारी, दक्षिण केशरी, जैन-धम्मै दीपक, प्रडित-रत्न श्री श्री १००६ श्री मिश्रीलालजी महाराज सा. ने समाज को जागृत कर जो महदुफकार/उसका समाज विस्मृत नहीं कर सकेगा. अतः

अश्रम कार्यकारिणी सभा, महती सभा, विश्वस्त मण्डल एवं - इस समिति की पदाधिकारी महाराज श्री की सुचनाएँ सदैव मान्य करेगे. संविधान ने यह भी निर्णय किया है कि इनके बाद इन परम्परामें इनके स्थान पर इस समिति को

धुव फण्ड व्यय करने का अधिकार: धुव फण्ड में एकत्र रकम को व्यय करने का अधिकार कार्यकारिणी को होगा, इसके लिए उसे प्राप्त बैंकके अधिकारों का उपयोग कार्यकारिणी करे.

अनुसूची



अध्यापक
सामाजिक न्याय नॉटरी कार्यालय
जालना विभाग, जालना

21.6.2024

Copy Prepared by -
Copy Read by -
Copy Verified by -